

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 267/2024
अनवान : -

1. मान खांन पुत्र नजीर खां जाति काजी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. बाबुखां पुत्र नजीर खां जाति काजी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. खुशी मोहम्मद पुत्र नजीर खां जाति काजी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. नबाब मोहम्मद पुत्र नजीर खां जाति काजी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. श्योकत अली पुत्र नजीर खां जाति काजी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. अहमदअली पुत्र नजीर खां जाति काजी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. जयवन्ती पुनिया पत्नी गोरीशंकर पुनिया जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 26/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 23 एन.टी.आर तहसील नोहर के जमाबदी सम्मत 2072-2075 के खाता संख्या 71/68 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मुतरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है। व रोही मोजा 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के जमाबदी सम्मत 2070-2073 के खाता संख्या 92/81 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.6020 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मुतरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है जो की निम्नानुसार है वादी (मान खां) प.म. 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 336/436 (92) कि.न. 19/2 की 0.1265 हे. 22/2 की 0.1265 हे. 13-14-18-23 की 1.0120 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 335/437 (31) कि.न. 5/2 की 0.2280 हे. 5/1 की 0.0250 हे रास्ता प.न. 336/437 (30) कि.न. 1/2/1 की 0.2150 हे. 1/1 की 0.0250 हे रास्ता 2/2 की 0.2270 हे. 2/1 की 0.0260 हे रास्ता 10/1 की 0.240 हे. 11/1 की 0.0760 हे. कुल 0.1.062 हे. भूमि

प्रतिवादी स0 1 बाबुखां 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 335/436 (93) कि.न. 16-25 की 0.5060 हे. प.न. 336/436 (92) कि.न. 20-21 की 0.5060 हे. 19/1 की 0.1265 हे. 22/1 की 0.1265 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि

प्रतिवादी स0 2 खुशीमोहम्मद प.म. 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 337/436 (91) कि.न. 11-20-21 की 0.7590 हे. प.न. 336/436 (92) कि.न. 15/2 की 0.1265 हे. 16/2 की 0.1265 हे. 25 की 0.2530 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N 336/437 (30) कि.न.



अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

12/2 की 0.1650 हे. कि.न. 13 की 0.253 हे. 337/437 (29) कि.न. 5/2 की 0.2270 हे 5/1 की 0.0260 हे रास्ता. कि.न. 6 की 0.253 हे. कुल 0.924 हे. भूमि

प्रतिवादी सं० 3 नवाब मोहम्मद प.म. 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 337/436 (91) कि.न. 10 की 0.2530 हे. प.न. 336/436 (92) कि.न. 6-17-24 की 0.7590 हे. 15/1 की 0.1265 हे. 16/1 की 0.1265 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 4/2 की 0.2280 हे. 4/1 की 0.0250 हे रास्ता 7-14 की 0.5060 हे. कुल 0.7590 हे. भूमि

प्रतिवादी सं० 4 श्योकतअली प.म. 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 337/436 (91) कि.न. 12 की 0.2530 हे. 18-19 की 0.5060 हे. 22-23 की 0.5060 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 3/2 की 0.2280 हे. 3/1 की 0.0250 हे रास्ता 8-9 की 0.5060 हे. 12/1 की 0.0880 हे. कुल 0.8470 हे. भूमि

प्रतिवादी सं० 5 अहमअली प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 11/2 की 0.1650 हे. 17ता22 की 1.5180 हे. कुल 1.6830 हे. भूमि

प्रतिवादी सं० 6 जयवन्ती पुनिया प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 5/1 की 0.0260 रास्ता 5/2 की 0.2270 बारानी 6-15 की 0.5060 बारानी प.न. 337/437 (29) कि.न. 1/1 की 0.0250 रास्ता 1/2 की 0.2280 बारानी 2/1 की 0.0250 रास्ता 2/2 की 0.2280 बारानी 3/1 की 0.0250 रास्ता 3/2 की 0.2280 बारानी 4/1 की 0.0250 रास्ता 4/2 की 0.2280 बारानी 7ता10 की 1.012 बारानी 11-12 की 0.5060 नहरी कुल 3.2890 हे. भूमि

गैरमुनकीन रास्ता प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 1/2/2 की 0.0130 हे. 10/1 की 0.0130 हे. 11/1 की 0.0120 हे. कुल 0.038 हे. भूमि
वादी उक्तानुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान अलग दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

८९
उपसद अधिकारी
बोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 23 एन.टी.आर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 71/68 के कुल खसरे 25 का कुल क्षेत्रफल 6.3250 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मुतरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है। व रोही मोजा 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 92/81 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.6020 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मुतरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही पक्षकार वाद भूमि पर काबिज है तथा इसी अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया गया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पक्षकारान मुताबिक बंटवारा वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। वाद वादी साक्ष्य सबूतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि प.म. 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 336/436 (92) कि.न. 19/2 की 0.1265 हे. 22/2 की 0.1265 हे. 13-14-18-23 की 1.0120 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 335/437 (31) कि.न. 5/2 की 0.2280 हे. 5/1 की 0.0250 हे रास्ता प.न. 336/437 (30) कि.न. 1/2/1 की 0.2150 हे. 1/1 की 0.0250 हे रास्ता 2/2 की 0.2270 हे. 2/1 की 0.0260 हे रास्ता 10/1 की 0.240 हे. 11/1 की 0.0760 हे. कुल 0.1.062 हे. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 335/436 (93) कि.न. 16-25 की 0.5060 हे. प.न. 336/436 (92) कि.न. 20-21 की 0.5060 हे. 19/1 की 0.1265 हे. 22/1 की

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.1265 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प.म. 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 337/436 (91) कि.न. 11-20-21 की 0.7590 हे. प.न. 336/436 (92) कि.न. 15/2 की 0.1265 हे. 16/2 की 0.1265 हे. 25 की 0.2530 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 12/2 की 0.1650 हे. कि.न. 13 की 0.253 हे. 337/437 (29) कि.न. 5/2 की 0.2270 हे 5/1 की 0.0260 हे रास्ता. कि.न. 6 की 0.253 हे. कुल 0.924 हे. भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प.म. 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 337/436 (91) कि.न. 10 की 0.2530 हे. प.न. 336/436 (92) कि.न. 6-17-24 की 0.7590 हे. 15/1 की 0.1265 हे. 16/1 की 0.1265 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 4/2 की 0.2280 हे. 4/1 की 0.0250 हे रास्ता 7-14 की 0.5060 हे. कुल 0.7590 हे. भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प.म. 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 337/436 (91) कि.न. 12 की 0.2530 हे. 18-19 की 0.5060 हे. 22-23 की 0.5060 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 3/2 की 0.2280 हे. 3/1 की 0.0250 हे रास्ता 8-9 की 0.5060 हे. 12/1 की 0.0880 हे. कुल 0.8470 हे. भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 11/2 की 0.1650 हे. 17ता22 की 1.5180 हे. कुल 1.6830 हे. भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 5/1 की 0.0260 रास्ता 5/2 की 0.2270 बारानी 6-15 की 0.5060 बारानी प.न. 337/437 (29) कि.न. 1/1 की 0.0250 रास्ता 1/2 की 0.2280 बारानी 2/1 की 0.0250 रास्ता 2/2 की 0.2280 बारानी 3/1 की 0.0250 रास्ता 3/2 की 0.2280 बारानी 4/1 की 0.0250 रास्ता 4/2 की 0.2280 बारानी 7ता10 की 1.012 बारानी 11-12 की 0.5060 नहरी कुल 3.2890 हे. भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 1/2/2 की 0.0130 हे. 10/1 की 0.0130 हे. 11/1 की 0.0120 हे. कुल 0.038 हे. को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए मुताबिक नजरीया नक्शा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 267/2024

अनवान : -

1. मान खांन पुत्र नजीर खां जाति काजी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. बाबुखां पुत्र नजीर खां जाति काजी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. खुशी मोहम्मद पुत्र नजीर खां जाति काजी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. नबाब मोहम्मद पुत्र नजीर खां जाति काजी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. श्योकत अली पुत्र नजीर खां जाति काजी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. अहमदअली पुत्र नजीर खां जाति काजी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. जयवन्ती पुनिया पत्नी गोरीशंकर पुनिया जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 267 सन 2024 निर्णय दिनांक - 26/04/24


आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि

प.म. 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 336/436 (92) कि.न. 19/2 की 0.1265 हे. 22/2 की 0.1265 हे. 13-14-18-23 की 1.0120 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 335/437 (31) कि.न. 5/2 की 0.2280 हे. 5/1 की 0.0250 हे रास्ता प.न. 336/437 (30) कि.न. 1/2/1 की 0.2150 हे. 1/1 की 0.0250 हे रास्ता 2/2 की 0.2270 हे. 2/1 की 0.0260 हे रास्ता 10/1 की 0.240 हे. 11/1 की 0.0760 हे. कुल 0.1.062 हे. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 335/436 (93) कि.न. 16-25 की 0.5060 हे. प.न. 336/436 (92) कि.न. 20-21 की 0.5060 हे. 19/1 की 0.1265 हे. 22/1 की 0.1265 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प.म. 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 337/436 (91) कि.न. 11-20-21 की 0.7590 हे. प.न. 336/436 (92) कि.न. 15/2 की 0.1265 हे. 16/2 की 0.1265 हे. 25 की 0.2530 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 12/2 की 0.1650 हे. कि.न. 13 की 0.253 हे. 337/437 (29) कि.न. 5/2 की 0.2270 हे 5/1 की 0.0260 हे रास्ता. कि.न. 6 की 0.253 हे. कुल 0.924 हे. भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प.म. 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 337/436 (91) कि.न. 10 की 0.2530 हे. प.न. 336/436 (92) कि.न. 6-17-24 की 0.7590 हे. 15/1 की 0.1265 हे. 16/1 की 0.1265 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न.


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

4/2 की 0.2280 हे. 4/1 की 0.0250 हे रास्ता 7-14 की 0.5060 हे. कुल 0.7590 हे. भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


प.म. 22 एन.टी.आर के चक 23 एन.टी.आर के प.न. 337/436 (91) कि.न. 12 की 0.2530 हे. 18-19 की 0.5060 हे. 22-23 की 0.5060 हे. कुल 1.2650 हे. भूमि प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 3/2 की 0.2280 हे. 3/1 की 0.0250 हे रास्ता 8-9 की 0.5060 हे. 12/1 की 0.0880 हे. कुल 0.8470 हे. भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 11/2 की 0.1650 हे. 17ता22 की 1.5180 हे. कुल 1.6830 हे. भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 5/1 की 0.0260 रास्ता 5/2 की 0.2270 बारानी 6-15 की 0.5060 बारानी प.न. 337/437 (29) कि.न. 1/1 की 0.0250 रास्ता 1/2 की 0.2280 बारानी 2/1 की 0.0250 रास्ता 2/2 की 0.2280 बारानी 3/1 की 0.0250 रास्ता 3/2 की 0.2280 बारानी 4/1 की 0.0250 रास्ता 4/2 की 0.2280 बारानी 7ता10 की 1.012 बारानी 11-12 की 0.5060 नहरी कुल 3.2890 हे. भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प.म. सोतीबड़ी के चक 25 D.P.N के प.न. 336/437 (30) कि.न. 1/2/2 की 0.0130 हे. 10/1 की 0.0130 हे. 11/1 की 0.0120 हे. कुल 0.038 हे. को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए मुताबिक नजरीया नक्शा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर